19

93

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

<u>अत्यावश्यक</u>

क्रमांक-प. 22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 जयपुर, दिनांक 30-6-14

परिपत्र

राज्य सरकार के संज्ञान में राजस्थान सूचना आयोग तथा आर.टी.आई. कार्यकर्ताओं द्वारा समय समय पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों/ राज्य लोक सूचना अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने के विषय में दिशा निर्देश/परिपत्र जारी किये गये हैं। आपसे पुनः अनुरोध है कि:-

1. अधिनियम की धारा 4(1) के खंड (क) के अन्तर्गग्त अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखा जावे, जो अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि **ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबंध है।**
2. अधिनियम की धारा 4(1) के खंड (ख) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी का यह दायित्व था कि कि वह इस अधिनियम के अधिनियमन के 120 दिवस के भीतर अपने **संगठन के बारे में उल्लेखीत 17 बिन्दुओं की स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलम्ब (प्रयोग) करना पड़े।** लोक प्राधिकारियों द्वारा स्वप्रेरणा से घोषणा की गई है किन्तु अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः अधिनियम के इस प्रावधान की पालना **सभी लोक प्राधिकारी आवश्यक रूप से एक माह में करावें** तथा ऐसी घोषणा को इलैक्ट्रोनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहत की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य होनी चाहिए।
3. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 1 के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालय में, राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को नियुक्त करें जितने सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। धारा की उप-धारा (2) के अन्तर्गत किसी अधिकारी को प्रत्येक उप मंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जावे और उसे विभाग की बेबसाइट पर प्रदशित किया जावे तथा उसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसे तुरन्त वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जावे तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जावे।
4. प्रत्येक लोक प्राधिकाकरणों के मुख्यालयों पर संलग्न प्रपत्र-1 व समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में संलग्न प्रपत्र-2 के अनुसार सूचना पट्ट आवश्यक रूप से लगाये जावें जिसमे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जानकारी प्रपत्र अनुसार अंकित हो।
5. लोक प्राधिकारण जहां एक से अधिक राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये गये हों वहां यथासंभव **एकल खिड़की व्यवस्था की जावे।**
6. सूचना का अधिकार का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किये जाने के प्रयास किये जावें **जिसके** द्वारा आमजन को अधिनियम की जानकारी उपलब्ध करवाई जावे।
7. प्रत्येक लोक प्राधिकारण की वेबसाइट हो यदि **अभी तक वेबसाइट नहीं है तो उसे अनिवार्य** जाकर स्वप्रेरणा की घोषणा व अन्य सूचना प्रदर्शित की जावे।
8. सूचना का अधिकार आवेदन की सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर से ही दी जावे